अध्यक्ष के नामनिर्देशन
के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के प्रावधान

परिषद के अध्यक्ष के नामांकन, कार्यकाल और त्यागपत्र के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के प्रावधान निम्नलिखित हैं:

धारा 5 परिषद की संरचना

उपधारा (1) परिषद एक अध्यक्ष और अट्ठाईस अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी।

उपधारा (2) अध्यक्ष, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और यह समिति राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के अध्यक्ष और उप-धारा (6) के अधीन परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति से मिलकर बनेगी और इस प्रकार किए गया नामनिर्देशन उस तारीख से प्रभावी होगा जिससे वह केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।.

उपधारा (6) उप-धारा (5) के अधीन अधिसूचित परिषद के सदस्य उप-धारा (2) में निर्दिष्ट समिति का सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति को अपने में से ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में निर्वाचित करेंगे जो विहित की जाये और ऐसे निर्वाचन के प्रयोजन के लिए परिषद के सदस्यों के अधिवेशन का सभापतित्व वह व्यक्ति करेगा जो उनके द्वारा अपने में से चुना गया हो।

धारा 6 सदस्यों की पदावधि और निवृत्ति

उपधारा (1) इस धारा में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय अध्यक्ष और अन्य सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:
परंतु अध्यक्ष ऐसा पद, धारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में परिषद के पुनर्गठित होने तक या छः मास की अवधि के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, धारण करते रहेंगे ।

उपधारा (5) अध्यक्ष केंद्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और कोई भी अन्य सदस्य, अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा, और ऐसा त्यागपत्र, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य ने अपना पद त्याग दिया है।

उपधारा (6) उप-धारा (2), उप-धारा (3), उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या अन्यथा होने वाली कोई रिक्ति, यथाशक्ति शीघ्र, उसी रीति से नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी जिस रीति से

पद रिक्त करने वाले सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया गया था और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य, उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट किया गया है, पद धारण करता है।

*****